**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय
रक्षा उत्पादन विभाग**

**राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 657**

**17 दिसंबर, 2018 को उत्तर के लिए**

 **रक्षा ख़रीद संबंधी प्रक्रिया के अंतर्गत प्रावधान**

**657. प्रो. एम.वी. राजीव गौडा :**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

**(क) रक्षा ख़रीद प्रक्रिया (डीपीपी),** 2013 **के अंतर्गत ऑफसेट क्रेडिट से संबंधित दावों के प्रयोजन से एक ऑफसेट भागीदार के रूप में पात्रता प्राप्त करने के लिए किसी भारतीय कंपनी द्वारा पूरा किए जाने वाले मानदंड क्या हैं और इस बाबत कोई अन्य अनुप्रयो**ज्य **विनियम, नीति और कानून क्या हैं;**

**(ख) सभी अनुप्रयोज्य विनियमों, नीतियों और कानूनों का ब्यौरा क्या है;**

**(ग) उपर्युक्त मानदंडों के अनुरूप रक्षा से संबंधित जो ख़रीद हुई** हैं **उनकी सूची क्या है: और**

**(घ) यदि डीपीपी से संबंधित इन मानदंडों में उत्तरोत्तर कोई परिवर्तन किया तो उनका ब्यौरा क्या है और क्या इससे संबंधित कोई अन्य अनुप्रयोज्य कानून नीतियां और विनियम हैं ?**

**उत्तर
रक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (डॉ. सुभाष भामरे)**

(क) और(ख) रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया (डीपीपी), 2013 के अनुसार, ऑफसेट क्रेडिटों के प्रयोजन से भारतीय ऑफसेट भागीदार (आईओपी) के रूप में पात्रता प्राप्त करने हेतु किसी भारतीय कंपनी द्वारा पूरी की जाने वाली अपेक्षाएं निम्नानुसार हैं:-

 (i) डीआरडीओ सहित पात्र उत्पादों की विनिर्माण और/अथवा पात्र सेवाओं के प्रावधान में लगे भारतीय उद्यम एवं संस्थान तथा स्थापनाओं को भारतीय ऑफसेट भागीदार (आईओपी) कहा जाएगा ।

 (ii) आईओपी, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विनियमों के अतिरिक्त औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा निर्धारित यथालागू दिशा-निर्देशों/लाइसेंसिंग अपेक्षाओं का भी अनुपालन करेगा ।

 (iii) ओईएम/विक्रेता/टियर-I उप-विक्रेता ऑफसेट बाध्यताओं को लागू करने हेतु आईओपी का चयन करने के लिए स्वतंत्र होगा बशर्ते कि उक्त आईओपी को रक्षा मंत्रालय द्वारा व्यवसाय करने से वर्जित न किया गया हो ।

 (iv) ओईएम/विक्रेता/टियर-I उप-विक्रेता और आईओपी के बीच करार भारत की विधियों के अध्यधीन होगा ।

(ग) रक्षा मंत्रालय भारतीय ऑफसेट भागीदारों के साथ रक्षा अधिप्राप्ति संविदाओं पर हस्ताक्षर नहीं करता है ।

(घ) इन आवश्यकताओं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । तथापि, रक्षा ऑफसेट दिशा-निर्देशों में 05.08.2015 को किए गए संशोधन के अनुसार, तकनीकी ‍ ऑफसेट मूल्यांकन समिति (टीओईसी) की बैठकों के दौरान विक्रेता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आईओपी-वार कार्य की हिस्सेदारी, विशिष्ट उत्पादों और ऑफसेट दिशा-निर्देशों के अन्य खंडों के साथ समरूपता के अतिरिक्त, सभी आईओपी की पात्रताओं को दर्शाते हुए सहायक दस्तावेज़ों के ब्यौरे उपलब्ध कराए । यदि विक्रेता टीओईसी के दौरान ये ब्यौरे उपलब्ध नहीं करा पाता है तो यह या तो ऑफसेट क्रेडिटों की मांग करते समय अथवा उस आईओपी के ज़रिए ऑफसेट बाध्यताओं को पूरा करने से एक वर्ष पूर्व रक्षा ऑफसेट प्रबंधन विंग (डीओएमडब्ल्यू) को उपलब्ध कराया जा सकता है ।

\*\*\*\*\*